राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 251/2023

सुमन आढा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, एकीकृत, महिला एवं बाल विकास विभाग, जलपथ गांधीनगर, जयपुर।
2. उप निदेशक (प्रशासन) एकीकृत, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (बाल) एकीकृत, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, झाडोल, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.07.2023
आदेश की दिनांक : 15.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार पत्र दिनांक 10.07.2019 के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग ने आख्यात्मक आदेश पारित किया कि अपीलार्थी को विभाग द्वारा आयोजित की गई कार्य दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने पर उसे एलडीसी के पद पर अर्ध स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। और उसकी सेवाओं को दिनांक 21.01.1994 से नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2019 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी की परिवेदना पर स्पष्ट मना कर दिया एवं इसमें अंकित किया कि अपीलार्थी को नियमितीकरण की दिनांक 21.01.1994 से चयनित वेतनमान दिया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक पद पर 27 वर्ष पूरा करने पर अगला चयनित वेतनमान नियमितीकरण की तिथि 13.02.1991 से प्रदान किया जाये, परन्तु उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 को सेवानिवृत्ति हो गई और उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं झाडोल जिला उयपुर द्वारा निदेशक समेकित बाल विकास विभाग को पत्र दिनांक 10.07.2019

द्वारा निवेदन किया कि दिनांक 13.02.1991 से अपीलार्थी की सेवा नियमितीकरण मानते हुए अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 21.01.2003 के स्थान पर दिनांक 13.02.2000 से तथा द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 21.01.2012 के स्थान पर दिनांक 13.02.2009 से स्वीकृत किया जावे तथा तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 13.02.2018 से स्वीकृत किया जाना था, जो अपीलार्थी को नहीं दिया गया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को दिनांक 24.06.1986 को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में एलडीसी के पद पर प्रत्यर्थी विभाग में नियुक्त किया गया था और उसके बाद अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 26.09.1989 के द्वारा समाप्त कर दी गई। इसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया गया और माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.1993 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के सेवा समाप्ति आदेश को समस्त पारिणामिक लाभ सहित अपास्त कर दिया गया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी दिनांक 26.09.1989 से सेवा में निरंतर कार्यरत है। इसके बाद अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 950–1680 में दिनांक 13.02.1991 से एलडीसी के पद पर नियमित कर दिया गया (अनुलग्नक–4)। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2003 द्वारा अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.02.1998 की अनुपालना में प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 4000–100–6000 में दिनांक 21.01.2003 से स्वीकृत किया गया (अनुलग्नक–5), जबकि प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 13.02.2000 से देय होता है। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.10.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर, अपीलार्थी को दिनांक 21.01.2012 से द्वितीय चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 5200–20200 में ग्रेड–पे 2800/– स्वीकृत किया गया, जबकि द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 13.02.2009 से देय होता है। उसके पश्चात अपीलार्थी दिनांक 30.04.2018 को सेवानिवृत्त हो गई और उसकी सेवा की गणना 13.02.1991 के बजाय 24.02.1993 की तारीख से करने के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया, जबकि देय था। अपीलार्थी की सेवाएं कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 13.02.1991 से नियमित की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष वेतनमान गलत वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 02.11.2016 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–7)। अब तक उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है एवं अभ्यावेदन लंबित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 21.01.1994 के स्थान पर दिनांक 13.02.1991 से मानी जाकर सभी परिलाभ एवं चयनित वेतनमान प्रदान किये जावें। आदेश/जवाब दिनांक 02.08.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की सेवाएं संशोधन कर दिनांक 13.02.1991 से गणना की

जाकर 9, 18 एवं 27 वर्ष के चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे। साथ ही अपीलार्थी दिनांक 30.04.2018 को सेवा से सेवानिवृत होने से पूर्व तिथि 13.02.2018 को 27 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सुमन आढ़ा दिनांक 30.04.2018 को वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुईं है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1957 के नियम 25 (9) के अनुसार आयोजित कार्य पात्रता परीक्षा दिनाक 06.011994 को आयोजित की गई थी और सफल उम्मीदवारों को आदेश दिनांक 24.01.1994 द्वारा एलडीसी के पद पर नियमित किया गया था जो कि विभाग में अस्थायी या दैनिक वेतन के रूप में काम कर रहे थे और उन्हें उक्त आदेश दिनांक 21.01.1994 के द्वारा न्यूनतम वेतनमान यानी 950–1680 पर नियमित किया गया था। अपीलार्थी श्रीमती. सुमन आढ़ा को दिनांक 21. 01.1994 से नियमित किया गया। प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 21.01.2003 को तथा द्वितीय 21.01.2012 को दिया गया तथा तृतीय एसीपी देने से पूर्व वह पद से सेवानिवृत्त हो गई। स्वीकृत चयनित वेतनमान नियमानुसार दिया गया था। सेवानिवृत होने के कारण अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी दिनांक 21.01.1994 को उक्त पद पर नियमित हो गया था। पत्र दिनांक 10.07.2019 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपीलार्थी को तृतीय एसीपी हेतु प्रस्ताव प्रत्यर्थी संख्या–1 को भेजा गया तथा उक्त पत्र दिनांक 10.07.2019 के क्रम में अपीलार्थी को सूचना पहले ही दी जा चुकी है तथा अपीलार्थी का नियमितीकरण दिनांक 21.01.1994 से होने पर तृतीय एसीपी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। पहली और दूसरी एसीपी अपीलार्थी को नियमितीकरण की तिथि तक दी गई थी और अपीलार्थी अपनी सेवा के 27 साल पूरे होने से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गई थी। अतः तृतीय एसीपी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसलिए अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 13.02.1991 से गणना की जाने और उस तिथि से समस्त पारिणामिक लाभ एवं चयनित वेतनमान संशोधित कर स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.08. 2019 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही अपीलार्थी दिनांक 30.04.2018 को सेवानिवृत्त हो गई और उसकी 27 वर्ष की सेवाएं दिनांक 13.02.2018

को पूर्ण होने के आधार पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त परिलाभों के साथ प्रदान करने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दैनिक वेतनभोगी के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 24.06.1986 को नियुक्ति प्रदान की गई थी और आदेश दिनांक 26.09.1989 द्वारा उसकी सेवाओं को समाप्त (Terminate) कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3343/1989 में पारित आदेश दिनांक 24.02.1993 द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक परिलाभों सहित सेवा में निरंतर माने जाने हेतु निर्देशित किया गया (अनुलग्नक–3)। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.03.1993 द्वारा अपीलार्थी को उसकी सेवा से पृथक किये जाने की दिनांक से निरंतर मानते हुए कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 13.02.1991 से कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला 950–1680 में न्यूनतम वेतन व अन्य देय लाभ (अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि के) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अपीलार्थी की दिनांक 13.02.1991 से सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान और अन्य परिलाभ दिये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी सहित विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कनिष्ठ लिपिकों को उनके द्वारा कार्य दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के आधार पर आदेश दिनांक 24.01.1994 द्वारा दिनांक 21.01.1994 से कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम भी क्रम संख्या–3 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य पत्र 02.08.2019 द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.10.1992 के अनुसार कार्मिक को नियमितीकरण के उपरांत ही चयनित वेतनमान दिया जाता है। अतः श्रीमती सुमन आढा को विभाग द्वारा नियमितीकरण दिनांक 21.01.1994 से दिया गया प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान नियमानुसार सही है। इस पत्र में पूर्व में लिए गए निर्णयों को स्पष्ट किया गया है। कोई नवीन निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील संख्या 3343/1989, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उसकी दैनिक वेतनभोगी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश दिनांक 26.09.1989 को चुनौती दी गई है, जिसे अपास्त किया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को निरंतर माने जाने और समस्त परिलाभ प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित किए जाने के बिंदू पर अपीलार्थी को सक्षम

प्राधिकारी को सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

"9. The petitioner has claimed regularisation but I need not dwell upon this aspect of the matter because I have been informed by the learned counsel for the petitioner that the Government has issued a circular recently, by virtue of which the petitioner can approach the competent authority for regularisation hence, I am refrain from passing, any order on this count."

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 द्वारा चयनित वेतनमान दिये जाने संबंधी आदेश जारी किए है। जिसके बिंदु संख्या–3 के अनुसार चयनित वेतनमान हेतु सेवाकाल की गणना किसी कर्मचारी की नियमित नियुक्ति जो संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार की गई है, से देय होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमित नियुक्त के पश्चात ही सेवा संबंधी परिलाभ प्राप्त होते है। राज्य सरकार बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा निर्णय कर अभिनिर्धारित किया है कि नियमित नियुक्ति तिथि से कर्मचारी चयनित वेतनमान प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया हैः–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थी एवं उसकी नियमित नियुक्ति तिथि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.1994 द्वारा दिनांक 21.01.1994 से उसके द्वारा कार्य दक्षता उत्तीर्ण किये जाने के आधार पर की गई है। अतः चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 21.01.1994 से देय होगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्वीकार्य स्थिति है कि अपीलार्थी को दिनांक 21.01.1994 से प्रथम और द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है और तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय होने से पहले अपीलार्थी सेवानिवृत हो चुकी है। लिहाजा 27 वर्ष की सेवा पर प्रत्यर्थी विभाग चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील में कोई बल एवं सार नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक....15.02.2024..............को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी तौर पर जिला परिषद सेवा चयन आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने या कार्यग्रहण करने की तिथि से 6 माह के लिए अथवा राज्य सरकार के अन्य निर्देश तक जो भी पहले हो की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलाथी नियमित नियुक्ति/स्कीनिंग होने की तिथी से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी विधि अनुसार देय परिलाभ स्वीकार करता आ रहा है और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे विलम्ब बाद बिना और विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही

सारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। विभागीय विधि अनुरूप नियमितकरण आदेश/स्क्रीनिंग की तिथी से लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय की पालना में जारी आदेश दिनांक 20.03.2013 विधिक होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दायर खण्डपीठ याचिका 650/2016 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 के अनुसार ही अपीलार्थी सेवा संबंधी समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।